न्यायालय अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट एवं न्याय निर्णयन अधिकारी सवाई माधोपुर
पीठासीन अधिकारी– डॉ0 सूरज सिंह नेगी

सिविल प्रकरण संख्याः– 44/2016

तारीख रजू :–08.11.2016

सरकार जरिये खाद्य सुरक्षा अधिकारी,कार्यालय आयुक्त खाद्य सुरक्षा निदेशालय चिकित्सा एवं स्वा. सेवायें जयपुर, राजस्थान।

..........आवेदक

बनाम

कैलाश शर्मा(उपाध्याय) पुत्र स्व0 श्री धोकलराम जी, खाद्य कारोबारकर्ता एवं मालिक मैसर्स जनता जोधपुर स्वीट होम, 4–5, प्रेम मन्दिर सिनेमा के पास, टोंक रोड बजरिया सवाईमाधोपुर।

न्याय निर्णयन आवेदन अन्तर्गत खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधि0 2006, नियम और विनियम 2011 की धारा 26(2)ii/51 के तहत

निर्णयः–

दिनांक 07/02/2022

उक्त न्याय निर्णयन आवेदन कार्यालय आयुक्त (खाद्य सुरक्षा) निदेशालय चिकित्सा एवं स्वा. सेवायें राजस्थान, जयपुर द्वारा प्राधिकृत खाद्य सुरक्षा अधिकारी श्री विनोद कुमार शर्मा (आवेदक) द्वारा अन्तर्गत धारा 51 खाद्य सुरक्षा और मानक अधिनियम , 2006 की धारा 26 की उप धारा 2 (ii) के तहत प्रस्तुत कर निवेदन किया है, कि आवेदक दिनांक 04.11.2015 को समय 2.30 पी.एम. पर मैसर्स जनता जोधपुर स्वीट होम, 4–5 , प्रेम मन्दिर सिनेमा के पास, टोंक रोड बजरिया सवाई माधोपुर पर पहुँचा। वहाँ पर कैलाश शर्मा (उपाध्याय) पुत्र स्व0 श्री धोकलराम जी खाद्य कारोबारकर्त्ता एवं मालिक मैसर्स जनता जोधपुर स्वीट होम, 4–5, प्रेम मन्दिर सिनेमा के पास, टोंक रोड बजरिया, सवाई माधोपुर उपस्थित मिला। आवेदक ने अपना परिचय पत्र दिखाकर परिचय दिया एवं विक्रेता से परिचय लिया। यह है कि आवेदक (खाद्य सुरक्षा अधिकारी) द्वारा संस्थान की निर्माण इकाई का निरीक्षण करने पर निरीक्षण के दौरान एक एल्यूमिनियम के थाल में लगभग 20 किलो ग्राम मावा रखा हुआ मिला जिसका उपयोग आम जनता को विक्रय हेतु किया जा रहा था। जिसके अमानक होने का शक होने पर उसमें से 1 किलो ग्राम मावा खाद्य कारोबार कर्ता एवं मालिक कैलाश शर्मा(उपाध्याय) को गवाहान की उपस्थिति में सूचित करते हुए वास्ते नमूना जांच खरीदा जिसकी कीमत 250/– रूपये नकद देकर रसीद [illegible] कारोबारकर्ता एवं मालिक कैलाश शर्मा(उपाध्याय) के हस्ताक्षर करवाय गये एवं तस्दीक [illegible] वेदक (खाद्य सुरक्षा अधिकारी) ने हस्ताक्षर किये। यह है कि आवेदक खाद्य [illegible] पर फार्म सं. 5 ए की प्रतियां तैयार कर खाद्य कारोबारकर्ता एवं मालिक [illegible] एवं सम[illegible] व सही मानकर हस्ताक्षर करवाकर फार्म सं0 5 [illegible] कर्ता एवं मालिक [illegible] रसीद प्राप्त की गई। यह है कि खाद्य सुरक्षा अधिकारी ने खाद्य कारोबारकर्ता एवं मालिक तथा गवाहान की उपस्थिति में खरीदशुदा 1 किलोग्राम मावे को चार साफ, सूखे एवं खाली कांच की बोतलों में बराबर

Signature Not Verified
Digitally signed by Dr. Suraj Singh Negi
Date: 2023.08.04 11:50:17 IST
Reason: SelfAttested

अति. जिला कलेक्टर
सवाई माधोपुर

डालकर एवं प्रत्येक बोतल में 20–20 बूंदे फॉर्मेलीन की डालकर एवं प्रत्येक बोतल को ढक्कन लगाकर एयरटाईट बन्द किया। प्रत्येक बोतल पर आवेदक ने लेबल तैयार कर लेबल चिपकाये और लेबलों पर स्टेट डी.ओ. के कोड एवं क्रमांक ईई–680 दर्ज किये। प्रत्येक लेबल पर स्वंय ने हताक्षर किये एवं खाद्य कारेबारकर्ता एवं मालिक तथा गवाहान के हस्तक्षर कराये। चारों नमूना भागो को अलग अलग खाकी कागज में लपेट कर प्रत्येक भाग पर स्टेट डी.ओ जयपुर की हस्ताक्षरशुदा पेपर स्लिप नं– ईई–680 नियमानुसार चारों नमूना भागो पर नीचे से उपर तक गोलाई में गोंद से चिपकाकर प्रत्येक नमूना भाग को धागे से बांधकर नियमानुसार सील चपडी किया। प्रत्येक नमूना भाग पर खाद्य कारोबारकर्ता एवं मालिक के हस्ताक्षर नियमानुसार इस प्रकार करवायें कि पेपर स्लिप व रेपर दोनों पर आवें। सील बन्द चारों नमूना भागों को अपने जाप्तें में लिया। मौक पर की गई कार्यवाही की फर्द रिर्पोट तैयार कर कारोबारकर्ता एवं मालिक तथा गवाहान को पढकर सुनाकर एवं समझाकार हस्ताक्षर करवाये गये व स्वयं आवेदक (खाद्य सुरक्षा अधिकारी) ने भी तस्दीक कर हस्ताक्षर किये। तत्पश्चात कार्यालय पहुँचकर खाद्य सुरक्षा अधिकारी द्वारा फार्म नम्बर 6 की प्रतियॉ तैयार कर प्रत्येक पर वह नमूना सील लगाई जिससे नमूना सील किया तथा एक नमूना भाग मय फार्म नम्बर 6 की प्रति के आउटर कवर में सीलबंद कर सील मोहर कर अगले कार्यदिवस में खाद्य विश्लेषक जयपुर को जरिये श्री कैलाश चन्द्र, वाहन चालक कार्यालय, मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकरी को जमा कराकर रसीद प्राप्त की एवं 2 प्रति फार्म नम्बर 6 की अलग से सील्ड लिफाफे में खाद्य विश्लेषक, जयपुर को जमा करवाकर रसीद प्राप्त की तथा दो सील बन्द नमूना भाग मय फॉर्म सं. 6 की दो प्रतियों के आउटर कवर में सील बन्द कर तथा नमूने का चौथा भाग मय फार्म नं. 6 की प्रति के आउटर कवर में सील कर स्टेट डी.ओ. एवं संयुक्त निदेशक (ग्र.स्वा.) निदेशालय चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवायें राजस्थान को अगले कार्य दिवस में जमा कराकर रसीद प्राप्त की। यह कि आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी को स्टेट डी.ओ एवं संयुक्त निदेशक (ग्र. स्वा.) निदेशालय चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवायें, राजस्थान जयपुर के पत्रांक 438 दिनांक 29.12.2015 के द्वारा ज्ञात हुआ कि खाद्य विश्लेषक जयपुर से प्राप्त जांच रिपोर्ट स0 एलएस/3455/एक्ट/2015/1322 दिनांक 15–12–2015 के अनुसार खाद्य कारोबारकर्ता एवं मालिक द्वारा वास्ते नमूना जांच विक्रय किया गया खाद्य पदार्थ मावा का नमूना सबस्टैण्डर्ड होना पाया गया। यह है कि उक्त प्रकरण में अभियुक्त ने सबस्टैण्डर्ड मावा का विक्रय करके एफ.एस.एस. 2006 की धारा 26(ii) का उल्लंघन किया है जिसका जुर्माना एफ.एस.एस एक्ट 2006 एवं नियम 2011 की धारा 51 व सपठित धारा 49 में निर्धारित है। अन्त में आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी कार्यालय आयुक्त (खाद्य सुरक्षा) निदेशालय चिकित्सा एवं स्वा. सेवायें राजस्थान, जयपुर द्वारा प्रस्तुत अभियोग पत्र स्वीकर कर अभियुक्त के विरूद्व अधिकत्तम शास्ति राशि अधिरोपित करने हेतु निवेदन किया गया।

न्याय निर्णयन आवेदन प्रार्थना पत्र प्रस्तुत होने पर दर्ज रजिस्टर किया जाकर अभियुक्त को जरिये नोटिस तलब किया गया। अभियुक्त [illegible] उपस्थित होकर नोटिस का जबाव पेश किया। अभियोजन अधिकारी द्वारा न्याय निर्णयन [illegible] अंकित किए गए हैं कि अभियुक्त द्वारा सबस्टैण्डर्ड (खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006 की धारा 26 की उप धारा 2 (ii)) प्रकृति के खाद्य पदार्थ मावा का विक्रय [illegible] एवं मानक अधिनियम 2006 की धारा 26 की उप धारा 2)(।।) का उल्लंघन किया है। अतः अभियुक्त को अधिकत्तम शास्ति राशि से दण्डित किया जावें।

Signature Not Verified
Digitally signed by Dr. Suraj Singh Negi
Date: 2023.08.04 11:50:17 IST
Reason: SelfAttested

अति. जिला कलेक्टर
सवाई माधोपुर

अभियुक्त द्वारा जबाव/बहस में तर्क दिया गया कि अभियुक्त से लिये गये सेम्पल मावा का निर्माण अभियुक्त की दुकान से मावे का सेम्पल लिया गया था वह मावा गाय के दूध से बना हुआ था, गाय और भैंस के दूध में 2–3 प्वाइंट फेट का अन्तर आता है इसलिए लिया गया सेम्पल सबस्टैण्डर्ड पाया गया है तथा अभियुक्त की दुकान से लिए गये सेम्पल में अन्य किसी प्रकार की मिलावट नहीं पायी गयी है। अतः उक्त बिन्दुओं को ध्यान में रखते हुए अभियुक्त ने अपने जबाव प्रार्थना पत्र के अन्त में शीघ्र प्रकरण का निस्तारण करने हेतु निवेदन किया है।

उभय पक्ष के आवेदन पत्र/बहस सुनने व आवेदक द्वारा प्रस्तुत न्याय निर्णयन आवेदन व दस्तावेजात का अवलोकन करने के उपरान्त मै इस निष्कर्ष पर पहुँचा हूँ कि खाद्य विश्लेषक जयपुर से प्राप्त जॉच रिपोर्ट संख्या एलएस/3455/एक्ट/2015/1322 दिनांक 15–12–2015 के अनुसार विक्रेता द्वारा वास्ते नमूना जॉच विक्रय किया गया खाद्य पदार्थ मावा सबस्टैण्डर्ड पाया गया है जिसका विक्रय कर खाद्यकारोबार कर्ता एवं विक्रेता ने खाद्य सुरक्षा अधिनियम की धारा 26 की उपधारा (2)(ii) का उल्लंघन किया है।

उक्त विवेचन के आधार पर अभियुक्त द्वारा खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006 व नियम 2011 की उप धारा 26 (2)(ii) अपराध कारित करने का दोषी माना जाकर दोष सिद्ध अपराधी करार दिया जाता है तथा उक्त आपराधिक कृत्य के कारित करने पर खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006 व नियम, 2011 की धारा 51 के अन्तर्गत आर्थिक शास्ति राशि के दण्ड से दण्डित किये जाने का प्रावधान प्रावधित है।

अतः अभियुक्त को सबस्टैण्डर्ड(खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006 की धारा 26 की उप धारा (2)(ii)) प्रकृति के खाद्य पदार्थ मावे का विक्रय करने पर खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम, नियम और विनियम 2011 की धारा 51 के अन्तर्गत अभियुक्त पर 30,000/–रू0 (अक्षरे तीस हजार रूपये) की आर्थिक शास्ति राशि अधिरोपित करने के दण्ड से दण्डित किया जाता है तथा अभियुक्त को आदेशित किया जाता है कि वह उक्त दण्डित शास्ति राशि 30 दिवस के अन्दर–अन्दर न्याय निर्णयन अधिकारी एवं अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट सवाई माधोपुर के पक्ष में देय राष्ट्रीयकृत बैंक से जारी रेखांकित ड्राफ्ट द्वारा न्याय निर्णयन अधिकारी को जमा करावें, अन्यथा गुजरने मियाद अपील नियमानुसार वसूली की कार्यवाही की जावेंगी। आदेश की एक प्रति आवेदक को तथा एक प्रति अभियुक्त को यदि उपस्थित हो तो व्यक्तिशः या प्राधिकृत व्यक्ति को परिदत्त की जावे। अन्य स्थिति में आदेश की प्रति जरिये पंजीकृत डाक प्रेषित की जावें।

निर्णय आज दिनांक 07/02/2022 को खुले न्यायालय में सुनाया गया। पत्रावली नम्बर से कम होकर बाद तकमील दाखिल दफ्तर हो।

(डॉ. सूरज सिंह नेगी)
न्याय निर्णयन अधिकारी एवं
अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट,सवाई माधोपुर

Signature Not Verified

Digitally signed by Dr. Suraj Singh Negi
Date: 2023.08.04 11:50:17 IST
Reason: SelfAttested